न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 36 / 2024

अनवान : –

1. विनोद पुत्री रामकुमार जाति धानक निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. निर्मला पुत्री रामकुमार जाति धानक निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. प्रहलाद पुत्र रामकुमार जाति धानक निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र गोपाल जाति धानक निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र चानणराम जाति मेघवाल साकिन भंगुली तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–

गैरसायालान

5. सुमन पुत्री रामकुमार जाति धानक साकिन खोपड़ा तहसील नोहर।
6. रोहताश पुत्र रामकुमार जाति धानक साकिन खोपड़ा तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायालान

7. जयवीर 8. विकास पि0 जगदीश जाति धानक निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः– 29/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के ख0न0 105 की 2.8320, 152 की 7.7390, 171 की 3.5660, 171/258 की 0.5060, 58 की 4.9310 कुल 19.5740 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 का 1/4 हिस्सा था।

सायलान व गैरसायलान संख्या 1, 5, 6 संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है गैरसायल न0 1 सायलान व गैरसायलान न0 5 ता 6 का पिता परिवान का मुखिया एवं कर्ता खानदान है उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि है जो की गैरसायल स0 1 के नाम विरासतन दर्ज हुई है इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक जदी जायदाद है जिसमें सायलान एवं गैरसायल न0 5 ता 6 का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ बहिब हक हिस्सा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण सायलान के खातेदारी हकूको का हनन हो रहा है इसलिए सायलान विवादित भूमि जो अपने पिता को 1/4 हिस्सा प्राप्त हुआ है में अपने 3/6 हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में विवादीत भूमि अपने नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि पैतृक होने के कारण गै[illegible]स0 1 का विवादित भूमि में 1/6 हिस्सा का हकदार हुआ लेकिन गै[illegible]ही कर गुपचुप तरीके से विवादित भूमि में से 100 हि[illegible]क 10.12.2015 को [illegible]सायल न0 2 ने अपने पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय नोहर मे[illegible]स्दीक करवा लिया [illegible]109 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 05.04.2016 को गैरसायल न0 2 ने अपने पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर मे तस्दीक करवा लिया जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि का होने के कारण सायलान व गैरसायल न0 5 ता 6 के हकूक के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है जिसे शुन्य व प्रभावहिन घोषित करवाकर सायलान एवं गैरसायलान न0 5 ता 6 अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर 5/6 हिस्सा अपने नाम अमल करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल स0 1 व 2 अपने नाम दर्ज भूमि का नाजायज फायदा उठाकर उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के ख0न0 105 की 2.8320, 152 की 7.7390, 171 की 3.5660, 171/258 की 0.5060, 58 की 4.9310 कुल 19.5740 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की प्रतिवादी संख्या 1 ने 100 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 10.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 को करवाया तथा ख0न0 109 का हिस्सा का बैयनामा दिनांक 05.04.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 ने उप पंजीयक कार्यालय से करवाया है प्रतिवादी स0 1 ने हक व हिस्सा की भूमि बैय की है उक्त बैयनामे दिनांक 10.12.2015 व 05.04.2016 विधि अनुसार रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा शुन्य व प्रभावहीन घोषित करने की अधिकारित राजस्व न्यायालय को नही है तथा बैयनामो को शुन्य व घोषित करवाने की अवधि 3 वर्ष होती है जो की गुजर चुकी है। प्रार्थीगण न्यायालय में क्लीन हैण्ड नही आये है पतिवादी संख्या 1 के साथ दुरभि संधि करके वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की मेन्टेबल नही है काबिल खारिजी के है। प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बैयनामे दिनांक 10.12. 2015 व दिनांक 05.04.2016 की भूमि आगे बैय हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 2 ने मिन प्रतिवादीगण के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1329/97870 हिस्सा की भूमि दिनांक 14.02. 2024 को बैय कर दी है तथा वादीगण ने उक्त तथ्यों को न्यायालय हाजा से छुपाया है वादीगण न्यायालय हाजा में क्लीन हैण्ड नही आया है। वाद भूमि पर उत्तरदातागण का कब्जा है। सायलान के कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों का निर्णय मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का कथन है कि वाद ग्रस्त भूमि ... होने के कारण गैरसायल स0 1 का विवादित भूमि में 1/6 हिस्सा का हकदार है लेकिन गैरसायल न0 1 से साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरीके से विवादित भूमि में से 100 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 10.12. 2015 को गैरसायल न0 2 ने अपने पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय नोहर में तस्दीक करवा लिया तथा 109 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 05.04.2016 को गैरसायल न0 2 ने अपने पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उप पंजीयक कार्यालय नोहर मे तस्दीक करवा लिया जो हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि का होने के कारण सायलान व गैरसायल न0 5 ता 6 के हकूक के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है जिसे शुन्य व प्रभावहिन घोषित करवाकर सायलान एवं गैरसायलान न0 5 ता 6 अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर 5/6 हिस्सा अपने नाम अमल करवाने के अधिकारी है लेकिन अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 100 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 10.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 को करवाया तथा ख0न0 109 का हिस्सा का बैयनामा दिनांक 05.04.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 ने उप पंजीयक कार्यालय से करवाया है प्रतिवादी स0 1 ने हक व हिस्सा की भूमि बैय की है उक्त बैयनामे दिनांक 10.12.2015 व 05.04.2016 विधि अनुसार रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा शुन्य व प्रभावहीन घोषित करने की अधिकारित राजस्व न्यायालय को नही है तथा बैयनामो को शुन्य व घोषित करवाने की अवधि 3 वर्ष होती है जो की गुजर चुकी है। प्रार्थीगण न्यायालय में क्लीन हैण्ड नही आये है प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दुरभि संधि करके वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की मेन्टेबल नही है काबिल खारिजी के है। प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बैयनामे दिनांक 10.12.2015 व दिनांक 05.04.2016 की भूमि आगे बैय हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 2 ने मिन प्रतिवादीगण के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1329/97870 हिस्सा की भूमि दिनांक 14.02.2024 को बैय कर दी है तथा वादीगण ने उक्त तथ्यों को न्यायालय हाजा से छुपाया है वादीगण न्यायालय हाजा में क्लीन हैण्ड नही आया है।

पत्रावली में संलग्न बैयनामों के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त वाद भूमि जरिये बैयनामा अप्रार्थीगण जयवीर व विकास को बैय की है। बैयनामे आदिनांक तक वैध है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त बैयनामों के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 29.02.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:27 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर